



2026:AHC:57790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2022 सन् 2026

सरफराज अहमद और 2 अन्य

..... आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक (आवेदकों) के अधिवक्ता

: अक्षांश

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, श्री एन.आई. जाफरी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस.आई. जाफरी, श्री अक्षांश की सहायता से, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 240 सन् 2025, भा0द0सं0 की धारा 420, 120बी थाना, मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी मौलाना शमशुल हुदा खान को इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 21.08.2025 को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-15491 सन् 2025 में पारित आदेश के माध्यम से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे यह बताया गया है कि आवेदकगण कॉलेज प्रबन्धक, सेवानिवृत्त प्राचार्य और लिपिक हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार सह-आरोपी शमशुल हुदा खान को कॉलेज में उपस्थित हुए बिना ही 16,59,555/- रुपये का वेतन दिया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।

5. सह-आरोपी मोहम्मद निज़ामुद्दीन रिज़वी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या-1563 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। शम्सुल हुदा खान इयूटी पर उपस्थित न होते हुए 16,59,555/- रुपये प्राप्त करने का आरोप है और उन्हें इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 21.08.2025 को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या-15491 सन् 2025 के अन्तर्गत पारित आदेश द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है। आवेदक कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्रबंधक और क्लर्क हैं।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी को यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदकों - सरफराज अहमद, मोहम्मद अहमद मिस्वाही और महबूब आलम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"